

F.7-18/2016/50-1

क्रमांक 374 / 2016 / 50-1

छज्जीस सचिवालय

विषय :-

विषय :-

क्रमांक M.C.C. 3672 / 2015 श्री राम मिलन वर्मा  
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

-1-

मन्त्री  
का विभाग म.बा.वि.

पंजी क्रमांक 374 / 2016 / 50-1

कृपया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से पत्र  
दिनांक 23.01.2016 का अवलोकन हो। जिसमें क्रमांक M.C.C.  
3672 / 2015 श्री राम मिलन वर्मा विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में  
मान. उच्च न्यायालय में सुनवाई दिनांक 22.02.2016 को नियत थी,  
जो तिथि निकल चुकी है। अतः प्राप्त पत्र की छायाप्रतियां आयुक्त,  
एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय को तत्काल आवश्यक  
कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जाना उचित होगा। तदुनसार पत्र  
का प्रारूप स्वच्छ प्रति अनु./हस्ता. प्रस्तुत है।

अनु.अधि. (अ.प्र.)

3 पत्र लिखे

50/1 (अ.प्र.)

०

पु.ग.  
25/2

25/2

25/2

जा. क्र. 383 / म.प्र.वि.वि. / 80-1
पृ.क्र. 25-2-16.
दिनांक



मंती  
म.बा.वि.  
छब्बीस-२ सचिवालय

क्रमांक 374 / 2016 / 50-1

विषयविषय :-

क्रमांक M.C.C. 3672 / 2015 श्री राम मिलन वर्मा  
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग



F.7-18/2016/542

-2-



संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश

नस्ती क्रमांक 259/15 एबाविसे/20 16 कक्ष न्याः 5 पृष्ठ क्रमांक 1

विषय :- श्री राम मिलन वर्मा उच्च न्यायालय



स्था.-5

नस्ती क्र. 259/2015

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर MCC क्रमांक 3672/2015 में शासन का पक्ष समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

श्री राम मिलन वर्मा, पदनाम-यू.डी.सी., कार्यालय का नाम-एकीकृत बाल विकास सेवा रीवा जिला रीवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में MCC क्रमांक 3672/2015 दायर की गई है।

प्रकरण का संबंध जिला-रीवा से है। प्रकरण में शासन का पक्ष समर्थन शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा रीवा जिला रीवा को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

AD/R.H.

4/3/16

4/3/16

कृपया शासन को अंकित करना-पाएँगे।

आयुक्त

4/3

4/3/16

4/3/16

4/3/16

एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश भोपाल

4/3/16

बेटी है तो कल है




# संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश

फर्मा क्रमांक ..... एकाविस/20 ..... कक्ष ..... पृष्ठ क्रमांक .....



विषय :—





छब्बीस-सचिवालय

विषय :

विषय :-

M.C.C. क्रमांक 3672/2015 श्री राम मिलन वर्मा  
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

मंत्रा  
म.वा.वि.

पूर्व पृष्ठ से :-

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय से प्राप्त प्रस्ताव का कृपया अवलोकन हो। आयुक्त से प्राप्त प्रस्तावानुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में शासन की ओर से पक्ष समर्थन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा रीवा जिला रीवा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।


अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा रीवा जिला रीवा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार आदेश प्रारूप स्वच्छ प्रति अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अनु.अधि.

D.S.  
50-47

Ram  
14/3  
13  
14/3

जाय  
14/3



14-3-16.



मंत्री  
म.ब.वि.  
छत्तीस-२ सचिवालय

एफ 7-18/2016/50-1

विषय :-

M.C.C. क्रमांक 3672/2015 श्री राम मिलन वर्मा  
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती मूलतः विधि और विधायी कार्य विभाग को अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अनु.अर्धि.

D/S.

मनि

प्रमुख सचिव

विधि-विभाग

राम  
16/3

राम  
16/3

21/3/16

(रजनी उड्डे)  
सचिव

24/3

(जे.एन.कांसोठिया)  
प्रमुख सचिव  
महिला एवं बाल विकास

8621

8621

1169  
22/3/16

16



C-85

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर  
स्थगन के मामले में पत्र रूप में सूचना

पंजी क. 374 / म.प्र.वि. / 50-1  
दिनांक 24/2/16

Process Id: 11939/2016

प्रेषक

डिप्टी रजिस्ट्रार,  
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,  
जबलपुर।

R.A. Rishi  
24/2

क्रमांक .....

By- RAD

मामला क्रमांक MCC/3672/2015

22-02-2016 के लिये नियत

Respondent No. 1

ON IA NO.16272/15

/DA-2-MCC

प्रति,

The State Of Madhya Pradesh,  
Women And Children Development Deptt Vallabh  
Bhawan Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

जबलपुर, 23-01-2016

विषय :- क्रमांक MCC/3672/2015, में अनावेदक क्रमांक 1 को सूचना, स्थगन के आवेदन पर 22-02-2016 के लिये नियत।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने को निर्देशित किया गया है कि Appellant द्वारा इस न्यायालय में फाइल किये गये MCC क्रमांक 3672/2015 में IA No. .... के लिये आवेदन (प्रति संलग्न है) प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय में इसकी सुनवाई के लिये दिनांक 22-02-2016 नियत किया गया है और मामला उस दिनांक को या उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा।

कृपया सूचित हो कि उक्त आवेदन की उपर्युक्त दिनांक को इसलिये सुनवाई की जाना है कि आप यह कारण बतायें कि आवेदन मुख्य मामले की सुनवाई होने तक क्यों न मंजूर किया जाये।

निवेदन है कि आप इस पत्र की अभिसवीकृति भेजें।

सहपत्र :- आवेदन की प्रतिलिपि तथा शपथ-पत्र।

भवदीय



11-2-16  
डिप्टी रजिस्ट्रार (J)  
Rishi



P

(6)

मध्य प्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल,

// आदेश //

भोपाल दिनांक 14/03/2016

क्रमांक एफ 7-18/2016/50-1 :: सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (1908 का अधिनियम-5) के आदेश सल्टाईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा रीवा जिला रीवा म.प्र. को M.C.C. क्रमांक 3672/2015 श्री राम मिलन वर्मा विरुद्ध म.प्र शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने के लिये एवं कार्य करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरन्त अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नानुसार कार्य करेगा:-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल दस्तावेज, नियम अधिसूचनाएं आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करना।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता को सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति साथ सरकार को एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की मूल सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामले में विशिष्टीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

//2//



- (7) मामलों की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत कराना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता म.प्र.राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखेगा कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिवक्ता मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी को यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। एतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( रवीन्द्र सिंह )

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग